न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 14/2018
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर। प्रार्थी

बनाम

रामचन्द्र पुत्र नन्दाराम गुर्जर, निवासी ग्राम भीरावता तहसील फुलेरा जिला जयपुर। अप्राथी

4. निर्णय दिनांक : 13-02-2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956 के तथ्य इस प्रकार है कि सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम भीरावता तहसील फुलेरा सम्वत् 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाडी सिवाय चक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में श्री रामचन्द्र पुत्र नन्दा राम गुर्जर भीरावता के नाम खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी 3 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 254 से रामचन्द्र पुत्र नन्दा राम गुर्जर ग्राम भीरावता को जरिये आवंटन दिनांक 18.06.1976 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0मु0 नाडी दर्ज थी, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

विचाराधीन आराजीयात के संबंध में पूर्व में रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2005 द्वारा रेफरेन्स तैयार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 28.06.2013 को निर्णय पारित किया गया। निर्णय अनुसार रेफरेन्स का सूक्ष्म परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार फुलेरा से विवादित भूमि का सूक्ष्म परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर में दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी पश्चात अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

तहसीलदार फुलेरा ने पत्रांक 3667 दिनांक 02.08.2017 द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसमें अंकित गया है कि ग्राम भीरावता के खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा सेटलमेंट खतौनी संवत् 2015–2029 में किस्म गै0मु0 नाडी दर्ज है। यह भूमि सन् 1976 में भी राजस्व रिकार्ड गै0मु0 नाडी ही दर्ज थी। उक्त भूमि की आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18.06.1976 में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि गै0मु0 नाडी दर्ज थी। जिस पर रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमण होना बताया है, जिसके आधार पर आवंटन किया गया है। उक्त विवादित भूमि की किस्म पूर्व में गै0मु0 नाडी दर्ज थी, जो कि आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1976 के आवंटन आदेश के अनुसार किस्म बारानी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सोयम नामा0 संख्या 254 के द्वारा परिवर्तित की गई। विवादित भूमि खसरा नम्बर 152 वाके ग्राम भीरावता का रकबा सेटलमेन्ट से लेकर वर्तमान रिकार्ड में 2.02 बीघा है।

तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट के साथ सेटलमेन्ट खतौनी 2015, मौका रिपोर्ट व कार्यवाही विवरण, मूल नामान्तरण एवं वर्तमान जमाबन्दी आदि की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली लम्बे समय तक बहस में नियत रहने उपरान्त भी अप्रार्थी/अधिवक्ता बहस हेतु अनुपस्थित रहे। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात की किस्म गै0मु0 नाडी सिवाय चक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में श्री रामचन्द्र पुत्र नन्दा राम गुर्जर भीरावता के नाम खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी 3 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 254 से रामचन्द्र पुत्र नन्दा राम गुर्जर ग्राम भीरावता को जरिये आवंटन दिनांक 18.06.1976 को आवंटित हुई। विवादित भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0मु0 नाडी दर्ज थी। जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 28.06.2013 की पालना में विवादित भूमि पुनः बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने हेतु आदेश फरमायें।

हम प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा के प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस पैरोकार सरकार, अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, पूर्व निर्णय एवं राजस्व मण्डल के निर्णय का अवलोकन मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा सेटलमेन्ट मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011–29 में गै0मु0 नाडी सिवायचक बिना लगानी दर्ज थी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत गै0मु0 नाडी दर्ज होने के कारण उक्त आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। इसलिये उक्त भूमि आवंटन योग्य नही थी, फिर भी अप्रार्थीगण को उक्त भूमि जरिये आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1976 के द्वारा आवंटित हो गई, जिसका नामान्तरकरण गैर खातेदारी संख्या 254 के द्वारा दिनांक 18.06.1976 को दर्ज किया गया। इस प्रकार आवंटन कमेटी द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तित कर आवंटन किया जाना नियमानुसार नही था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि आवंटन नियमों से प्रतिबंधित थी इसलिए उक्त भूमि इस रेफरेन्स की परिधि में आती है। चूंकि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिये हैं कि जो भी भूमि झील, तालाब, जलाशय, नाडी, नदी व नाले दर्ज है, उसको उसी रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसी भूमि की अन्तिम कट ऑफ दिनांक 15 अगस्त 1947 है, जिसको आधार माना जावे। चूंकि उक्त भूमि संवत् 2011–29 में गै0मु0 नाडी दर्ज थी, जो अब्दुल रहमान से संबन्धित निर्णय के दायरे में आती है अर्थात आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा का रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिये जाते है कि 3 महीने में माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाना सुनिश्चित करें और तब तक विवादित भूमि की रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत बरकरार रखें। यह तहसीलदार फुलेरा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर